:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ::

क्रमांकः प.3(4)/मुख्या./मृ.बं./परिपत्र/2023/12493-598 दिनांकः 21/06/2023

1. उप महानिरीक्षक कारागार
   रेन्ज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
2. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी
   केन्द्रीय/जिला/उप कारागृह, राजस्थान।
3. प्रभारी
   समस्त महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।

विषय:- न्यायिक अभिरक्षा में कारागृहों में बंदी मृत्यु की सूचना भिजवाने व अन्य कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंग:- शासन उप सचिव, गृह(ग्रुप-12)विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांकः प.(6)/ गृह-12/कारा/2023 दिनांक 03.03.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांकः पोलिसी फाईल/2013/परिपंत्र/24427-526 दिनांक 22.08.2013, परिपत्र क्रमांकः आर.एच.आर.सी./मृ.बं./2014/4297-400 दिनांक 01.05.2014, परिपत्र क्रमांकः 12301-406 दिनांक 26.06.2014 एवं परिपत्र क्रमांकः 76081-180 दिनांक 18.02.2022 के क्रम में कारागृहों में बंदी मृत्यु से संबंधित सूचना मानवाधिकार आयोग एवं अन्य को त्वरित माध्यम से 24 घण्टे में भिजवाने तथा मृतक बंदियों से संबंधित समस्त कार्य एवं पत्राचार के संबंध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश (SOP) जारी किये जाते है:-

1. कारागृह अभिरक्षा में बंदी की बीमारी अथवा अन्य किसी कारण से मृत्यु को रोकने के हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए। संभंव समस्त प्रयासों के उपरान्त भी कारागृह अभिरक्षा में बंदी की मृत्यु होने पर प्रभारी जेल (अधीक्षक/उपाधीक्षक/कारापाल/उप कारापाल) अविलम्ब सीधे ही बंदी मृत्यु की सूचना निम्नाकिंत प्राधिकारियों/कार्यालयों को भेजना सुनिश्चित करेंगे-
   1. सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली
   2. सचिव, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर
   3. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
   4. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, गृह(ग्रुप-12)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
   5. उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज (संबंधित)
   6. संबंधित न्यायालय को मय मूल वारन्ट के
   7. संबंधित जिला मजिस्ट्रेट(DM), उप जिला मजिस्ट्रेट(SDM)
   8. निजी सचिव, माननीय कारागार मंत्री
   9. जिला बंदी कल्याण अधिकारी(प्रोबेशन ऑफिसर)
   10. थानाधिकारी संबंधित पुलिस थाना
   11. बंदी के परिजनों को घर के पते पर
   12. कंट्रोल रूम, महानिदेशालय कारागार

   (क)बंदी मृत्यु की सूचना रिपोर्ट डाक अथवा विशेष वाहक के जरिये भेजने के अतिरिक्त समस्त संबंधित कार्यालयों/आयोगों एवं इस कार्यालय को ई-मेल द्वारा भी एक साथ ही भेजी जावें।

(ख)बंदी मृत्यु की सूचना किसी भी माध्यम से 24 घण्टे के भीतर संबंधित कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जेल प्रभारी का होगा।

(ग)स्थानीय कारागृह में इंटरनेट सुविधा बाधित होने की स्थिति में नजदीक के किसी कार्यालय अथवा कारागृह से जरिये ई-मेल बंदी मृत्यु की सूचना अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावे।

(घ) यदि सूचना किसी प्राधिकारी को टेलिफोनिक माध्यम से दी जा रही हो तो इस बाबत् अंकन कारापाल रिपोर्ट बुक में भी किया जावें।

2. न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु होने पर धारा 176 सी.आर.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत न्यायिक जांच आवश्यक है। अत: बंदी की मृत्यु की सूचना भेजने के साथ ही मुख्य न्यायिक दण्डनायक(सी.जे.एम.) अथवा जिला मजिस्ट्रेट (डी.एम.) से मृत्यु के कारण एवं परिस्थिति की जांच के लिए अनुरोध किया जावे।
3. कारागृह प्रभारी बंदी मृत्यु जांचकर्ता (संबंधित न्यायिक अधिकारी) के निरन्तर सम्पर्क में रहकर सीधा मेडिकल बोर्ड से अथवा मृत्यु जांचकर्ता अधिकारी से मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली/जयपुर, महानिदेशालय कारागार तथा सूचनार्थ प्रति संबंधित रेन्ज उप महानिरीक्षक कारागार को प्रेषित करें।
4. कारागृह प्रभारी द्वारा बंदी मृत्यु की जांचकर्ता को यथासंभव जांच में सहयोग दिया जावे तथा जांच पूर्ण होने पर यदि उसकी प्रति कारागृह को उपलब्ध करवायी जाती है, तो अतिशीघ्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, महानिदेशालय एवं रेन्ज डी. आई.जी. को प्रेषित की जावें।
5. बंदी की मृत्यु संदेहास्पद परिस्थितियों में होने अथवा अपराध कारित होने अथवा जेल कर्मियों की लापरवाही से होने की परिस्थिति में मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित रेन्ज उप महानिरीक्षक कारागार द्वारा स्वयं प्रकरण की प्रशासनिक जांच की जाकर मृत्यु के 15 दिवस में जांच रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जावें।
6. अन्य प्रकरणों में (जिनमें उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज द्वारा स्वंय जांच नही की गई हो) उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज संबंधित कारागृह प्रभारी से प्राप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट का अध्ययन कर मुख्यालय को अपनी टिप्पणी भेजें। जांच रिपोर्ट में बंदी की मृत्यु के संबंध में जेल कर्मियों के विपरीत टिप्पणी होने पर दोषी कर्मियों को चिन्हित कर उतरदायित्व निर्धारित कर अपनी रिपोर्ट भेजें।

न्यायिक अभिरक्षा (कारागृहों) में रहते हुए बंदी मृत्यु की सूचना देने एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा मृतक बंदियों के संबंध में चाही जाने वाली सूचना/रिपोर्ट्स भिजवाये जाने में अनावश्यक विलम्ब न हो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जावे।

परिपत्र प्राप्ति की रसीद स्वयं के हस्ताक्षरों से भिजवायें तथा उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण (Refresher training for Deaths in Jails) आयोजित कराया जाना सुनिश्चित करावें।
3. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
4. अति. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक कारागार राजस्थान।
5. निजी सहायक, महानिरीक्षक/पुलिस कारागार राजस्थान, जयपुर।
6. प्रभारी, कंट्रोल रूम, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, महानिदेशालय कारागार राज0, जयपुर।

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर